

(ख) क्या बैंक कर्मचारी देश भर में इन मांगों के समर्थन में आन्दोलन तथा प्रदर्शन इत्यादि कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(घ) इन मांगों को स्वीकार करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :**

(क) अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा की गई मांगों का कोई भी पत्र न तो बैंकिंग विभाग में और न ही सहकारिता विभाग में प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

**पटना में पर्यटन केन्द्र**

5812. श्री रामावतार शास्त्री : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में एम० एल० ए० फ्लैट के निकट सरकार ने पर्यटन केन्द्र के निर्माण के लिए किसी जमीन में नीव डालने का काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें भवन निर्माण का कार्य कब से आरम्भ होने वाला है तथा कितने दिनों में भवन बन कर तयार हो जायेगा ; और

(ग) भवन निर्माण में कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है तथा क्या वह राशि भारत सरकार खर्च करेगी अथवा भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर करेंगी ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) :** (क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा इस स्थल पर 43.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक 50 कमरों वाले होटल के निर्माण की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

(ख) निर्माण कार्य अगस्त, 1973 में प्रारंभ हो गया।

(ग) होटल के निर्माण पर होने वाले व्यय का वहन भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा।

**जीवन बीमा निगमम काम करने वाले इंस्पेक्टरों के वेतन मानों में अंतर**

5813. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा कंपनियों तथा जनरल बीमा कंपनियों में काम करने वाले इंस्पेक्टरों के वेतनमानों में अंतर है ;

(ख) यदि हां, तो दोनों के वेतनमानों का अलग अलग व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या जनरल बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद उनके इंस्पेक्टरों के वेतनमानों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :** (क) और (ख) जीवन बीमा निगम में, कारोबार को बढ़ाने के लिये विकास अधिकारी के पद हैं, निरीक्षक के पद नहीं हैं। विकास अधिकारियों के वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

ग्रेड II	₹ 170-10-220।
ग्रेड I	₹ 230-15-320-20— 360-द० रो०-20— 400-25-550-द० रो०-30-760।

कुछ ही बीमा कंपनियों को छोड़कर (जिनके वेतनमान सभा पटल पर रखे गये अनुबन्ध में दिये गये हैं) (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6094/73), बाकी की बीमा कंपनियों में निरीक्षकों के लिये कोई नियमित वेतन-मान नहीं थे।

(ग) और (घ) : विविध बीमा सेवा एकीकरण समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें विकास-कर्मचारियों के तथा अन्य पदों के विभिन्न वर्गों के वेतन-मानों के सम्बन्ध में सिफारिशें हैं। रिपोर्ट विचाराधीन है।

**Visit by Central Teams to Orissa to assess damage caused by floods**

5814. SHRI ARJUN SETHI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the amount which the Central Teams (both 1st and 2nd) have recommended to release in favour of Orissa for reconstruction and rehabilitation works due to successive floods havocs, especially in the District of Balasore and Mayurbhanj; and

(b) the actual amount Government have released till now and the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : (a) and (b). A Ceiling of Rs. 11.74 crores including Rs. 4.71 crores on account of floods in October in Balasore and Mayurbhanj has been recommended by the two Central teams as qualifying for Central assistance. The recommendation has been accepted and communicated to the State Government. An 'on account' release of Rs. 3 crores has been made so far to the State Government. Further assistance will be released on the basis of the progress of expenditure as against the approved ceilings.

**Recommendations of Tariff Commission on Man-made Fibres**

5815. SHRI RAGHUNANDAN LAL BHATIA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision on the recommendations of the Tariff Commission particularly regarding man-made fibre;

(b) if so, the salient features thereof and if not, the reasons for the delay; and

(c) when the decision is likely to be taken?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) to (c). The Tariff Commission submitted the following reports on man-made fibres in 1970 :—

(i) Fair selling prices of man-made fibre/yarn-viscose staple fibre/filament yarn and acetate fibre/yarn;

(ii) Fair selling prices of man-made fibre/yarns-synthetic fibre and yarn.

Government have after careful consideration taken decision on the recommendations of the Tariff Commission on its report on viscose staple fibre/filament yarn and acetate fibre/yarn and have referred it back to the Tariff Commission for updating the fair selling prices after taking into account the increases in the cost of raw material, wages and labour and changes in pattern of production which have taken place since the original costing period.

In so far as the second report is concerned the recommendations are still under the consideration of the Government. Decision is likely to be taken very shortly.

**Supply of Yarn to Handlooms and Powerlooms**

5816. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the textile commission has supplied fully the requirement (count-wise) of yarn of important handloom and powerloom Centres in the country;

(b) if not, the short-fall between previous year's consumption and the supplies made available count-wise this year to these Centres;

(c) whether any *ad-hoc* allotments were made to Uttar Pradesh and other States; and

(d) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Bulk allotments of cotton yarn are made by the Textile Commissioner to the State Governments under the Yarn Control Scheme. Responsibility for further distribution among the handloom and powerloom weavers is entrusted to State Governments. The allotments which